

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28493

दिनांक : 22/03/2020

आदेश

राज्य सरकार द्वारा "Rajasthan Epidemic Disease, Covid-19 Regulation 2020" जारी किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु लगातार निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण (Covid -19) की प्रभावी रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। इस कार्यालय के पत्रांक 28370-80 दिनांक 20.03.2020 क्रम में समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 21.03.2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने की अधिसूचना के अनुसरण में आप अपने उपखण्ड क्षेत्र में लॉकडाउन की सूचना अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से हर 03-03 घंटे बाद जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर भिजवाना सुनिश्चित करें।



(अंशदीप)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

दिनांक : 22/03/2020

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28494 - 28500

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
02. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
03. प्रभारी अधिकारी, कंट्रोल रूम, बाड़मेर
04. उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
05. सोशल मीडिया प्रभारी
06. रक्षित पत्रावली ।



जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर